रामलाल बनाम श्रीमती तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	दावा प्रा.न. - 20/2024
22.02.2024 रामलाल	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी की तामील जरिए साधारण तरीके से करवाई गई। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्य वादी में वकील वादी ने वादी रामलाल दत्तक पुत्र बालूराम का व वादी साक्ष्य गवाह्न में अणची देवी पत्नी जगदीश के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया एवं प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से पत्रांक क्रमांक/भू.अ./24/347 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किए गए। वकील वादी ने प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गयी। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री ज[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:36 IST
Reason: SelfAttested

22/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
20 / 2024	2024 / 32	16.01.2024	22.02.2024

उनवान प्रकरण

रामलाल दत्तक पुत्र बालुराम आयु 71 साल जाति मीणा निवासी कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–वादी–

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री अनिल यादव, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती

(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:36 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

22/02/24

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि तन ग्राम कंचनपुर पटवार हल्का कंचनपुर भू–अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 167, 168 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7300 हैक्टर में हिस्सा 3/8 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 187, 497 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3700 हैक्टर की खातेदारी में वादी का नाम रामलाल पुत्र भागीरथ दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम रामलाल पुत्र बालूराम हैं वादी रामलाल के जाईन्दा पिता का नाम भागीरथ है एवं वादी रामलाल, बालूराम का दत्तक पुत्र है एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 204, 208 कुल किता 2 कुल रकबा 1.6200 हैक्टर की जमाबंदी संवत 2057 से 2060 की खातेदारी में वादी का नाम रामलाल द. पुत्र बालूराम दर्ज है एवं वादी के समस्त सरकारी दस्तावेजाता आधार कार्ड आदि में भी रामलाल पुत्र बालूराम ही दर्ज है परन्तु उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी मे वादी का नाम रामलाल पुत्र भागीरथ दर्ज हो गया इसलिए वादी का नाम कृषि भूमियां में रामलाल पुत्र भागीरथ के स्थान पर रामलाल पुत्र बालूराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। वादी ने पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से उपरोक्तानुसार सही नाम दुरूस्त करने क निवेदन किया तो अदालत में दावा प्रस्तुत करके आदेश लाने हेतू कहा। वादपत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जावे कि तन ग्राम कंचनपुर पटवार हल्का कंचनपुर भू–अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 167, 168 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7300 हैक्टर में हिस्सा 3/8 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 187, 497 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3700 हैक्टर की खातेदारी में वादी का नाम रामलाल पुत्र भागीरथ के स्थान पर रामलाल पुत्र बालूराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतू भूमिधारी तहसीलदार को आदेश किए जाने का निवेदन वकील वादी ने अपने वादपत्र में किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:36 IST
Reason: SelfAttested

24/02/24

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। रजिस्टर्ड डाक के तामील करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 347/भू.अ./24 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का कंचनपुर की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम कंचनपुर की वर्तमान जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 256 खसरा नम्बर 187/0.89, 497/1.48 कुल किता 2 कुल रकबा 2.37 हैक्टर हि0 पूर्ण, खाता संख्या 176 खसरा नम्बर 167/1.12, 168/0.61 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.73 हैक्टर हिस्सा 3/8 रामलाल पुत्र भागीरथ जाति मीणा सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जो पुराने खसरा नम्बर कमशः 93, 108 व 317 से सेटलमेन्ट में बनाये गये। उपरोक्त भूमि जरिये दानलेख नामा संख्या 47 से बाल्या पुत्र शिवराम के स्थान पर रामलाल पुत्र भागीरथ कोम मीणा सा. देह खातेदार दर्ज हुआ हैं। मुताबिक फर्द मौका ग्राम कंचनपुर के रामलाल के जाईन्दा पिता का नाम भागीरथ था और रामलाल बालूराम के गोद गया था। गोदनामें से संबंधित कोई दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत नही किये गये। पटवारी हल्का कंचनपुर की फर्द मौका कार्यवाही में ग्राम मे उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि रामलाल पुत्र भागीरथ जाति मीणा नि0 कंचनपुर भागीरथ मीणा का जाइन्दा पुत्र है तथा रामलाल को बालूराम ने गोद रखा था तथा बालूराम के ही गोद रहा है बालूराम की जमीन रामलाल के नाम जरिये दानलेख आयी होना अभिशंषा पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। वकील वादी ने वादी के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में वादी रामलाल दत्तक पुत्र बालूराम का एवं साक्ष्य वादी गवाहान् में अणची [illegible] तसदीकशुदा शपथ पत्र पेश किए। वकील वादी ने वादपत्र में वादी एवं [illegible] शपथ पत्र पेश कर दिए जाने से प्रकरण में आज ही बहस [illegible] निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:36 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 22/02/24

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम [illegible] आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की दो जमाबंदीया, आधार कार्ड, खतौनी कंचनपुर पटवार क्षेत्र जोरावरनगर संम्वत 2057–2060, भू-प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल, दानलेख, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पटवारी हल्का कंचनपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी व गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम कंचनपुर पटवार हल्का कंचनपुर भू–अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 167, 168 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7300 हैक्टर में हिस्सा 3/8 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 187, 497 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3700 हैक्टर की खातेदारी में वादी का नाम रामलाल पुत्र भागीरथ के स्थान पर रामलाल पुत्र बालूराम दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, खतौनी कंचनपुर पटवार क्षेत्र जोरावरनगर संम्वत 2057–2060, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पटवारी हल्का कंचनुपर की जॉच रिपोर्ट में भी वादी का नाम रामलाल पुत्र बालूराम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसकी ताईद वादी के वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी व साक्ष्य गवाह में प्रस्तुत गवाह के शपथ पत्र से होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर रामलाल पुत्र भागीरथ के स्थान पर रामलाल पुत्र बालूराम शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त [illegible] घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती [illegible] कि तन ग्राम कंचनपुर पटवार

22/02/24

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

हल्का कंचनपुर भू-अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 167, 168 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7300 हैक्टर में हिस्सा 3/8 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 187, 497 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3700 हैक्टर की खातेदारी में वादी का नाम **रामलाल पुत्र भागीरथ** के स्थान पर **रामलाल पुत्र बालूराम** घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

22/02/24

(दिलीप सिंह)

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:36:36 IST
Reason: SelfAttested

22/02/24

(दिलीप सिंह)

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)